न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/89

1. हेमन्त कुमार आत्मज श्री त्रिलोक चन्द जाति खाती निवासी ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. दिनेश कुमार आत्मज श्री त्रिलोक चन्द जाति खाती निवासी ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. हंसराज आत्मज श्री त्रिलोक चन्द जाति खाती निवासी ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. महावीर प्रसाद आत्मज श्री मुरलीधर ।
2. चेतन्य कुमार आत्मज श्री मुरलीधर ।
3. सुनील कुमार आत्मज श्री मुरलीधर जाति खाती निवासीगण ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2022/90

1. हेमन्त कुमार आत्मज श्री त्रिलोक चन्द जाति खाती निवासी ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. दिनेश कुमार आत्मज श्री त्रिलोक चन्द जाति खाती निवासी ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. हंसराज आत्मज श्री त्रिलोक चन्द जाति खाती निवासी ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

त्रिलोक चन्द आत्मज रामगोपाल जाति खाती निवासी ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री हेमन्त कृष्ण विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय दिनांकः 29.09.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 03 महावीर प्रसाद, चेतन्य कुमार एवं सुनील कुमार ने परीक्षण न्यायालय में वाद संख्या 164/2021 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद में वादीगण के खाते में खसरा नम्बर 108 की रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 209 की 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 210 की 1.25 हैक्टर कुल 03 किता की 1.45 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त आराजी वादीगण को जरिये दानपत्र अपने दादा त्रिलोक चन्द से प्राप्त हुई है जो वादीगण के खाते दर्ज चली आरही है । वादीगण उक्त भूमि के एकमात्र खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं । वादीगण के खाते की भूमि से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । प्रतिवादीगण प्रभावशाली व दादागिरी के बल पर वादीगण के खाते की भूमियों पर जबरन काश्त नहीं करने देते जबकि उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने खातेदारी की भूमि पर अपने कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा मदाखलत व मजाहमत नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

4. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे, वादीगण को काश्त करने से नहीं रोके । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

6. तत्पश्चात् वादीगण महावीर प्रसाद, चेतन्य कुमार एवं सुनील कुमार ने परीक्षण न्यायालय में धारा 11 एवं 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में वादी त्रिलोक चन्द जो प्रतिवादीगण के पिता हैं के मध्य एक वाद हंसराज बनाम त्रिलोक चन्द वगै0 का मुकदमा संख्या 171/14 धारा 53, 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का चला था जिसमें पुश्तैनी सम्पत्ति बाबत् न्यायालय में राजीनामा पेश होकर राजीनामे के मुताबिक दावा डिक्री करवा लिया तथा पुश्तैनी

सम्पत्ति का न्यायालय के आदेश के मुताबिक दिनांक 04.12.2014 को बंटवारा करवा कर डिक्री के मुताबिक अलग–अलग खाते दर्ज करवा लिया । पूर्व वाद में वर्णित सम्पत्ति व वर्तमान काउन्टर क्लेम में वर्णित सम्पत्ति व पक्षकार समान हैं एवं चाही गई सहायता व विवाद्यक विषय भी समान हैं इसलिए प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम रेसजूडीकेटा से बाधित होने से मेन्टेनेबल नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे ।

7. इसी प्रकार वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 त्रिलोक चन्द ने परीक्षण न्यायालय में वाद संख्या 163/2021 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 427 पश्चिम की रकबा 0.40 हैक्टर व खसरा नम्बर 540 मध्य की रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 02 की रकबा 0.50 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादी को विभाजन में प्राप्त हुई है जिस पर वादी खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं । वादीगण के खाते की भूमि से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । प्रतिवादीगण प्रभावशाली व दादागिरी के बल पर वादीगण के खाते की भूमियों पर जबरन काश्त नहीं करने देते जबकि उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने खातेदारी की भूमि पर अपने कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा मदाखलत व मजाहमत नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

8. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीग के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे, वादीगण को काश्त करने से नहीं रोके । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

9. प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

10. तत्पश्चात् वादी त्रिलोक ने परीक्षण न्यायालय में धारा 11 एवं 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में वादी त्रिलोक चन्द जो प्रतिवादीगण के पिता हैं के मध्य एक वाद हंसराज बनाम त्रिलोक चन्द वगै0 का मुकदमा संख्या 171/14 धारा 53, 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का चला था जिसमें पुश्तैनी सम्पत्ति बाबत् न्यायालय में राजीनामा पेश होकर राजीनामे के मुताबिक दावा डिक्री करवा लिया तथा पुश्तैनी सम्पत्ति का न्यायालय के आदेश के मुताबिक दिनांक 04.12.2014 को बंटवारा करवा कर डिक्री के मुताबिक अलग–अलग खाते दर्ज करवा लिया । पूर्व वाद में वर्णित सम्पत्ति व वर्तमान काउन्टर क्लेम में वर्णित सम्पत्ति व पक्षकार समान हैं एवं चाही गई सहायता व विवाद्यक विषय भी समान हैं इसलिए प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम रेसजूडीकेटा से बाधित होने से मेन्टेनेबल नहीं है । अतः

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे ।

11. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2022 के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं 151 सीपीसी बाबत् काउन्टर क्लेम रेसजूडीकेटा से बाधित होने से निरस्त करने बाबत् स्वीकार कर वादीगण के दोनों वाद खारिज कर दिये ।

12. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.03.2022 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम रेसजूडीकेटा से बाधित होना मानकर खारिज करने में त्रुटि की है । उक्त पूववर्ती वाद गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया जाकर बरूये राजीनामा निर्णित किये जाने से रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2022 त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.202 निरस्त फरमाया जावे ।

13. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

14. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया रेसजूडीकेटा का बिन्दु तथ्य एवं कानून का मिश्रित प्रश्न है जिसे तनकीयात कायम कर बाद शहादत फरीकेनबहस कर निर्णित किया जा सकता है । पूर्ववर्ती वाद गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया जाकर बरूये राजीनामा निर्णित किये जाने से रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है । पूर्व का दावा जवाबदावा तनकीयात प्रस्तुत हुए बिना ही एवं प्रमाणित हुए बिना ही सर्वथा गैर कानूनी रूप से रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होना मानकर त्रुटि की है । प्रकरण संख्या 171/2014 हंसराज बनाम त्रिलोक चन्द वगै0 बरूये राजीनामा निर्णित किया गया था । पूर्ववर्ती वाद एवं प्रतिवादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पश्चात्वर्ती काउन्टर क्लेम में पक्षकारान समान नहीं थे । पूर्ववर्ती वाद प्रतिवादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में निहित बिन्दु पृथक–पृथक हैं समान नहीं हैं । प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व धारा 151 सीपीसी पोषनीय नहीं था । परीक्षण न्यायालय द्वारा डिक्री मुरतिब नहीं की गई है । प्रतिवादीगण अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है । आदेश 20 नियम 06 ए सीपीसी के अन्तर्गत उक्त प्रावधान की पूर्ति हेतु निर्णय की एक अतिरिक्त प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है । परीक्षण न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी नहीं होना मानकर स्वअर्जित होना मानकर निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । विभाजन हो जाने के बाद भी वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि की प्रकृति सहदायियों के बीच पुश्तैनी जायदाद ही रहती है । इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित किया है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2022 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस दिशा–निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह काउन्टर क्लेम को पुनः दर्ज कर जवाबदावा काउन्टर क्लेम लेकर तनकीयात कायम कर बाद शहादत फरीकेन बहस

समाअत कर काउन्टर क्लेम का भी गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2018 (एससी) पेज 826, आरबीजे 2018 पेज 01, आरआरटी 2010 (1) पेज 282, आरआरटी 2019 (2) पेज 1492, डीएनजे 2021 (2) पेज 1391, आरबीजे 2020 पेज 579, आरआरडी 1978 पेज 11, आरआरटी 2018 (1) पेज 150, आरबीजे 2020 (27) पेज 580 उद्धरत की ।

15. दोनों अपीलों में विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में वादी त्रिलोक चन्द जो प्रतिवादीगण के पिता हैं के मध्य एक वाद हंसराज बनाम त्रिलोक चन्द वगै0 का मुकदमा संख्या 171/14 धारा 53, 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का चला था जिसमें पुश्तैनी सम्पत्ति बाबत् न्यायालय में राजीनामा पेश होकर राजीनामे के मुताबिक दावा डिक्री करवा लिया तथा पुश्तैनी सम्पत्ति का न्यायालय के आदेश के मुताबिक दिनांक 04.12.2014 को बंटवारा करवा कर डिक्री के मुताबिक अलग–अलग खाते दर्ज करवा लिया । पूर्व वाद में वर्णित सम्पत्ति व वर्तमान काउन्टर क्लेम में वर्णित सम्पत्ति व पक्षकार समान हैं एवं चाही गई सहायता व विवाद्यक विषय भी समान हैं । परीक्षण न्यायालय ने इन तथ्यों के आधार पर प्रकरण रेसजूडीकेटा से बाधित होना मानते हुए प्रतिवादीगण विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र धारा 11 एंव धारा 151 सीपीसी काउन्टर क्लेम रेसजूडीकेटा से बाधित होने से निरस्त करने बाबत् स्वीकार कर दोनों वाद वादीगण खारिज किये हैं जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । बंटवारे के पश्चात् प्राप्त भूमि पुश्तैनी नहीं होकर स्वअर्जित मानी जावेगी । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2022 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1988 (राज0) पेज 22, डब्ल्यूएलसी (एससी) 2010 (2) पेज 682, आईएलआर 1959 पेज 1264, डब्ल्यूएलसी 2014 (i) (एससी) पेज 98, डीएनजे 2008 (एससी) पेज 364, डब्ल्यूएलसी 2014 (राज0) पेज 504 उद्धरत की और अपील अपीलान्ट खारिज करने का कथन किया ।

16. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद में वादी हंसराज आत्मज त्रिलोक द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 171/2014 की फोटो प्रति संलग्न है । उक्त वाद में पक्षकारान द्वारा लिखित में राजीनामा प्रस्तुत किया गया और परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 04.12.2014 को बरूए राजीनामा डिक्री कर दिया । उक्त निर्णय एवं डिक्री के आधार पर वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के पृथक–पृथक खाते दर्ज कर दी गई है । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति थी, पैतृक सम्पत्ति में से त्रिलोक चन्द को ग्राम उकल्दा की आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 209 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 210 रकबा 1.25 हैक्टर कुल किता 03 की रकबा 1.47 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई थी उसे ही उनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 05 जुलाई, 2021 को महावीर प्रसाद, चेतन्य कुमार एवं सुनील कुमार का निष्पादित किया गया है । हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत हैं कि अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों पर वहीं आक्षेप करना चाहिए था । उक्त दस्तावेज न्यायिक कार्यवाही की ही प्रतियॉ व आदेश हैं ।

17. पूर्व वाद 171/2014 में पक्षकारान की ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद की सम्पूर्ण आराजी कुल किता 07 की रकबा 8.80 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में विवाद था जिसमें पक्षकारान द्वारा बरूए राजीनामा वाद डिक्री किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व वाद संख्या 171/2014 में हुए राजीनामा अनुसार हुए विभाजन में त्रिलोक चन्द आत्मज रामगोपाल को प्राप्त भूमि के सम्बन्ध में विवाद है । त्रिलोक चन्द को प्राप्त भूमि पैतृक मानी जाएगी अथवा स्वअर्जित ? पैतृक अथवा स्वअर्जित भूमि के सम्बन्ध में विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा डीएनजे 2008 (एससी) पेज 364, डब्ल्यूएलसी 2014 पेज 504 उद्वरत करते हुए पेश की है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा डीएनजे 2018 (एससी) पेज 826 उद्वरत की है । हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों की नजीरों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमारे समक्ष अद्यतन न्यायिक दृष्टांत विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत डीएनजे 2018 (एससी) पेज 826 माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है । उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह यह प्रतिपादित किया गया है कि – "Ancestral property-Property inherited by a male Hindu from his father, father's father or father's father's father is an ancestral property and after partition the property in the hands of the son will continue to be an ancestral property." यहॉ मूल विवाद पूर्व निर्णय डिक्री दिनांक 04.12.2014 द्वारा पिता के हिस्से में जो भूमि प्राप्त हुई है उसको लेकर है । उक्त प्रश्न विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जिसको विवाद्यक बनाकर दोनों पक्षों से साक्ष्य लेकर ही निर्णित किया जा सकता है । पूर्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2014 राजीनामे के आधार पर डिक्री किया गया है न कि गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निस्तारित किया गया है । आरबीजे 2018 पेज 01 में माननीय राजस्व मण्डल ने यह प्रतिपादित किया है कि सिविल प्रकिया संहिता 1908– धारा 11 – रेसजूडीकेटा का बिन्दु तथ्यों एवं कानून का मिश्रित बिन्दु है और साक्ष्य लेखबद्ध करना आवश्यक है । अतः हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2022 से सहमत नहीं हैं । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

18. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2022/89 एवं 2022/90 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2022 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 17 में किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय में दिनांक 11.11.2022 को उपस्थित हों ।

19. निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा